बच्चों का व्यापार...
चाहें तो रोक!
सकते हैं

CACT
Campaign Against Child Trafficking
भूमिका

हमारे देश में और सीमा पर हर रोज सैकड़ों बच्चे ख़ारिदे और बेचे जाते हैं। कुछ अपना शरीर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, कुछ मज़बूरी या अन्य किसी काम में ढकेल दिये जाते हैं, लो कुछ भीख मांगने या किसी और गैरकानूनी कार्य में लग दिए जाते हैं। ये बच्चे ‘बाल व्यापार’ या ‘बाल ट्रेफिकिंग’ के शिकार होते हैं। क्या हम अपने समाज में बाल व्यापार को वर्धित करेंगे? इस पुस्तिका के माध्यम से आप बाल व्यापार के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर उसे रोकने के प्रयास में जुड़ सकते हैं।

बच्चों के व्यापार पर अंकसर किसी का ध्यान नहीं जाता। हम में से बहुत लोगों को इस बारे में पर्याप्त जानकारी या फिर बाल व्यापार की पूरी प्रक्रिया की समझ नहीं है और कुछ लोग जानकारी के बावजूद सोचते हैं कि ये उनकी नहीं किसी और की समस्या है। कैम्पेन ‘एंगेस्ट चाइल्ड ट्रेफिकिंग’ (सी.ए.सी.टी.) बाल अधिकार उल्लंघन के इस घोटाले रूप के ख़िलाफ़ एक संघर्ष है।

यह पुस्तिका बाल व्यापार पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए सी.ए.सी.टी. द्वारा हैयार की जा रही सामग्री की श्रंखला में पहला कदम है। इस श्रंखला में आने वाली तीन पुस्तिकाएं बाल व्यापार संबंधी राष्ट्रीय कानून और नीतियां तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था पर आधारित हैं।
भैंड खाता और भैंड मंगवाना, दोनों ही कानून जुर्म हैं

लेकिन फिर भी बच्चों का इस काम में सबसे ज्यादा उपयोग होता है।

और अगर यही काम उन्हें विदेश ले जाकर कराया जाय तो समझो
सोने पे सुहागा

सड़कों पर, धर्म स्थलों के बाहर, कुछ जाने जाने सार्वजनिक स्थानों पर भैंड मंगाने हुए बच्चे हमारे जीवन का एक सामान्य भाग होते हैं। ये बच्चे कौन हैं? कहां से आये हैं? उन्हें से किसी की लड़कियाँ क्या होती हैं? हमारे बाहर ऐसा क्यों कहते हैं? कभी सोचते हैं ये सब?

ये बच्चे बाल व्यापार के शिकार हो सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ का अपहरण हुआ है, या ये किसी मुर्शिद या गिरोह का नियंत्रण देने हों। हो सकता है कुछ सभी के तरह बचे या खूरे गये हों, कुछ के हाथ, पैर और आंखें निकाले गये हों या किसी और तरीकों से इनसे जुबारस्ती भैंड मांगने का काम कराया जा रहा हो। ये बच्चे हैं जो इस सब के बावजूद अपनी ही कमाई के हककार नहीं। कोई उस्ताद या गुरु इनकी रोज़ की कमाई हंगामा कर शादी कुछ तुकड़े इनके नसीब के लिए छोड़ दे। शादी ये भी नहीं...

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की साँपी साऊदी अरब तो पहुंच गईं पर कभी लीट कर नहीं आई। ये अनेकों नहीं थी। उस जैसी कई लड़कियाँ हर साल इसी तरह गुलामी या शादी मैत्री की चपेट में आये हों जाती हैं। मुर्शिदाबाद के रिश्ते के लिए हमेशा से मशहूर रहा है। लेकिन आज ये बाल व्यापार के लिए भी उत्कृष्ट ही जाना जाता है। ये महज़ एक इतिहासी नहीं। झोटें-झोटें लड़कियों को हज़ारों के समय यहाँ से साऊदी अरब ले जाकर भैंड मांगने के काम में लगाया जाता है। कहा जाता है कि हर साल देश से 1000-1500 बच्चे बाहर ले जाये जाते हैं जिनमे 400 तो मुर्शिदाबाद से ही होते हैं।
हम शायद हर रोज़ काम करते हुए बच्चों को अपने ही पास कहीं न कहीं मिलते हैं। ये बच्चे हमारे घरों में, सड़कों पर, होटलों, ढाबों, और मिठाई की दुकानों पर, खेतों और कारखानों में, और न जाने कहां-कहां काम करते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र और व्यवसाय नहीं बचा जिसमें कामकाजी बच्चों की कोई भूमिका न रही हो। लेकिन फिर भी हम इस बात से बेखबर हैं कि इनमें से कई बच्चे बाल व्यापार के शिकार होते हैं।

एक 13-14 वर्ष की घरेलू नौकरानी, जो पूरे घर की देखभाल करती है, सबकी समय पर खाना देती है, घर की साफ़ स्कैर्ट है, घर के बच्चों को सम्भालती है, जो शायद उसी के हम उसे हों या फिर उससे छोटे या शायद उससे भी बड़े - ये हमारे लिए कोई अनजान दुःख नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे उन ऐतिहासियों से लाये जाते हैं जो घरेलू नौकरों की सुधिया पान करते हैं। क्या हमने सोचा है कि कहां से आते हैं। हमारे शहर में कैसे पहुंचे? एक बच्चा जो सब काम कैसे करेगा जो हम खुद नहीं कर पा रहे, वह सोच पाए तो बहुत दुर की बात है। इसी आसानी से मिलने वाले बच्चों की महा हम क्यों हाथ से जाने हैं?

शायद इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है - हमारी खुद की संस्कृति। हमें कितना स्तंभ मिलता है जब हम किसी गरीब दिखाने वाले बच्चे को काम पर रख लेते हैं। और बच्चे में पैसे, खाना, रहने की जगह, कपड़े और शायद किसी प्रकार की शिक्षा भी देते हैं। हमारी उदारता का इससे बड़ा समृद्ध हमारे लिए और क्या हो सकता है।

न माने वो दिन कब आयेगा जब हम ये सहाय उठा पायेंगे कि इन बच्चों की वो सब अधिकार क्यों नहीं मिल सकते जो हमारे अपने बच्चों को मिल रहे हैं? अधिकार तो सबके समान होते हैं। क्या इनके क्यों नहीं?

[Image of a drawing showing various scenes related to children's work and conditions]
हम इसे रोज़ देखते हैं। इससे काम भी लेते हैं, बिना यह सवाल उठाये कि यह यहाँ क्यों है। यह घर में नहीं, स्कूल में नहीं, बल्कि जीने के लिए दो बार रूपये जुटाने में लगा हुआ है। हो सकता है ज़बरदस्ती या बिना उसकी मदद के इसे यहां लाया गया हो। इसके मां बाप को इसके ऐवंज में शायद पांच दस हज़ार रुपये दिए गये हों।

इस निर्माण कार्य में इतना ज़ोकिम भरा काम करती यह लड़की क्यों? यह बंधुबा मज़दूर है जिसे किसी टेकेडर ने लौटी ड्राइवर के साथ मिलकर यहां तक पहुँचाया है। यह अपेक्षा नहीं। इस जैसे कई और बच्चे भी इसके साथ लाये गये हैं, लकिन नाम–नाम वेतन देकर इनसे इमारत बनवाई जा सके। हो सकता है इनके परिवार किसी कर्ज में ढूँढे हुए हों जिसका पाया उठाया जा रहा है।
खेल—कूद और मनोरंजन के नये—नये अंदाज़ हम सबको पसंद हैं। लेकिन जाने—अनजाने उनके जरिये हो रहे बच्चों के शोषण को हम ही बढ़ावा देते हैं।

हम में से कुछ लोगों ने अभय ऊंट की दौड़ के बारे में सुना होगा या ऐसे चित्र पोस्टर/सैमीटिव या इंस्टेटिव देखे होंगे जिसमें नहीं लड़के दौड़े हुए ऊंट की पीठ से बी करते हैं। इसे ‘कैमल जूबी’ कहते हैं। लड़के जितना घटा है उतना ही ज्यादा उसका दाम लगता है। कुछ समय और कमजोर नहीं मुने, कभी-कभी तो उम्र में सिर्फ दो वर्ष के। ये लड़के भारत और बांग्लादेश से आकर, अब देशों में ऊंट दौड़ में ऊंट की लड़ाई करने के लिये लाये जाते हैं। या तो इनका अफहरण किया जाता है या फिर इनके अपने ही माता-पिता इन्हें किसी दल के लिये खेल देते हैं। अरब देशों में पहुँचने पर इन्हें भूख से तड़पना पड़ता है, क्योंकि खाना तो केवल नाम-मात्र ही मिलता है जिससे इनका अनन्त और घटे और वे हलके-पुकारे रहें। जितना ऊंटा बच्चा जितना अच्छा बंडा। दौड़ के आरंभ रेखा पर खड़े ऊंटों पर लड़े। ये बच्चे जब बच्चे होते और दौड़ के बीच के मारे चीटें है। तो ऊंट उत्तेजित हो उठते हैं और तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगते हैं। यह सब इस खेल का एक हिस्सा है, लेकिन खेल हमें यह खतरे नहीं होता... कुछ लड़के गिर कर कुचलते हैं, कुछ मिले के बाद बिस्ते हुए मैत के मुंह में जाते हैं, या फिर वैसे ही खेल और दूर से मर जाते हैं। हम तब भी यही कहते हैं कि खेल तो खेल है फिर इन सब के बारे में क्या लोगना?

हालांकि अरब अमेरिका का कुछ क्षेत्रों के इस इलाम पर विशेष लगता है, ऊंट-दौड़ का आयोजन निजी संग्रह, दौड़ दास्तां निर्माण के बीच, औपचारिक नियम की सीमा से बाहर, आज भी किया जाता है। और इन नमो-मुने लड़कों की मांग अब भी बरकरार है।

किन्तु बच्चे, खास तौर पर एक-दूसरी संरचना में कल्पना दिखाकर हमारा मन सुंदर है? क्या यह संरचना सिर्फ एक व्यवसाय या फिर इसकी इडेय वाला व्यवसाय की एक और दिनियों सुरू चीप है? ये बच्चे कितने मजबूर और लाचार होते हैं। इनके पास जीनें के लिए और कोई रास्ता नहीं रहता, न कोई और हमारे सीख पते हैं, न ही स्वयं भिड़ा मिल पता है। उड़ीसा की ‘जाना’ और उत्तरी भारत की ‘नौटंकी’ में काम करने वाले बच्चों की भी कुछ ऐसी ही कहानी है।
बाल विवाह आज भी हमारे देश में एक आम बात है। कई नाबालिग़ लड़कियों शादी के नाम पर बेची जाती हैं। कई बार शादी नाबालिग़ लड़कियों को मजदूरी या देह व्यापार में ढकलने का एक जरिया बन जाता है।

अक्टूबर 1991 में, हैदराबाद की नौ कर्मचारियों की सुरक्षा में छाई हुई थी। दस हज़ार रुपये में अरब के 75 साल के शेख महानह अलसैफ़ द्वारा खरीदी गई अमीना, पिछले छः महीनों में उसकी चौथी शिकारी थी जिसे युविल से अरब की खाड़ी से जाया जा रहा था। अक्सर इस तरह, विधि के अनुसार, अरब से आये किसी बूढ़े आदमी के साथ विवाह की दौर में बंधने वाली नाबालिग़ लड़कियां दुर्लभ हो जाती हैं। अक्सर इस तरह, विधि के अनुसार, अरब से आये किसी बूढ़े आदमी के साथ विवाह की दौर में बंधने वाली नाबालिग़ लड़कियां दुर्लभ हो जाती हैं। अमीना तो बच गई मगर उसकी जैसी कई लड़कियों ने केवल देश के बाहर बल्कि अपने ही देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में विवाह के नाम पर रोजाना विकल्प किए हैं और शायद फिर कभी लीट कर नहीं आती।
बाल व्यापार की बात करते समय हमारा ध्यान सबसे पहले ‘वैश्यावृत्ति’ की ओर जाता है। हम शायद यह नहीं जानते कि विश्व में प्रतिदिन लगभग 3000 महिलायें और बच्चियाँ ‘ट्रेफिकिंग’ यानि कि मानव व्यापार और तस्करी का शिकार होती हैं। इनमें से बहुत सी लड़कियां ‘वैश्यावृत्ति’ में फंसकर अपने शरीर की नीलामी करने पर मजबूर हो जाती हैं।

एक 12 वर्ष की लड़की को बहला फुसला कर सुखद जीवन या काम का प्रलोमन देकर उसके परिवार से कोसों दूर ले जाया जाता है, किसी दूसरे राज्य में या फिर विदेश। वहां पहुंचने पर वह भूल-वकरी की तरह कोटा चलाने वालों के हाथ बेच दी जाती है। इसके बाद वहीं होता है जो हम चुनते आये हैं... सामूहिक वलाल्कार, शारीरिक और मानसिक यंत्रण। तब तक जब तक वह किसी पुरुष के साथ सोने वो राजी नहीं होती और कई सालों तक, हर साल के 365 दिन, हर सप्ताह के 7 दिन, हर रोज़, जब तक वो चार, पांच, आठ, दस या उससे भी ज्यादा लोगों के साथ सो नहीं लेती, तब तक जब तक उसे कोई महानक रोग नहीं लग जाता, वो मौत की नींद नहीं सो जाती, और वो मर नहीं जाती।
सूचना प्रौद्योगिकी यानि इन्फ्रामेशन टेक्नोलॉजी, मनोरंजन और पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ते विकास पर हम सबको गर्व है। पर क्या इनके जरिये हो रहे बच्चों के शोषण पर भी हम गर्व करेंगे?

गोवा, कोलंब, पुरी के समुद्र तट पर या उदयपुर के किसी टूरिस्ट स्थल पर या ऐसी किसी और जगह पर अकाल हम एक विशेष टूरिस्ट अंकल के साथ घूमते ही बच्चे को देखकर शीते अंदेखा कर देते हैं। कुछ पैसे, खिलौने, स्कूल जाने के लिए एक युवा डैग, नये कपड़े, घोरे-मोटे गाने इत्यादि देकर, इस बच्चे को ‘पीड़ोफिलिया’ या ‘पीड़ोफाइल’ (अक्सर लेखन और चित्रण) का शिकार बनाया जाता है। यदि रहे, आम धारणा के विपरीत ये ‘पीड़ोफाइल’ हमेशा विकृत रति-क्रियाओं में लित या गुलत कम वासना रखने वाले पुरुष नहीं होते। हो सकता है है वे प्रतिष्ठित क्षेत्र हों, भारी-सुन्न, बाल-चक्कर हों, जो अपनी इस यात्रा के दौरान व्यवसायिक काम के साथ कुछ मजा और मनोरंजन चाहते हों। यह भी हो सकता है कि वे अपने ही परिवार में, आस-पास में या स्कूलों में बच्चों के साथ संबंध करते हैं या फिर उसकी चाहत रखते हों।

* पीड़ोफाइल वे तोड़ गोले हैं जो बच्चों के प्रति काम करते हैं। वे दो तरह के होते हैं। 'इच्छा अनुसार' यानि 'फैशनिकोल' और 'सिस्ट्रसिकोल' यानि 'सिनुसिकोल'। इन्हें मध्यम-कम संख्या में होते हैं, जो चिकित्सा किशोरकाल में पहुंचते लड़कों को पन्दर करती है। 'फैशनिकोल' पीड़ोफाइल की तो इच्छा ही बच्चे के साथ संबंध करने की होती है। 'सिस्ट्रसिकोल' पीड़ोफाइल वैसे तो किसी बच्चे का साथ दरेंत हैं, लेकिन यह भी मानते हैं कि बच्चों के साथ उनके स्वाभाविक धारणा को कोई तेजस्क पहुंच सकती।
यहां कोई कहानी नहीं गद्दी जा रही। प्रस्तुत हैं दो वास्तविक घटनायें...

फ्रीडी पीटर्स का मुकदमा
15 मार्च 1996 को जब फ्रीडी पीटर्स को दोषी करार दिया गया, उस समय वो 76 वर्ष का बुधा हो चुका था। गोवा के समुद्र तट पर, मरगांव की गलियों में, गूढ़े बच्चों के साथ साइकिल चलाने वाला, उनसे दोस्ती करते वाला वह सफेद दाढ़ी वाला बुढ़ा काफी मिलनसार बनता था। वह गोवा के मरगांव में गूढ़े बच्चों के लिए ‘गुरुलू’ नाम का एक अात्मक गृह चलाता था।

सन 1991 में एक लड़के ने पीटर्स के गुरुलू से आने के बाद अपने मां-बाप से शिकायत की कि उसके अण्डकोश (गुंत स्थान) में दर्द हो रहा है। जब उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और ‘गुरुलू’ में पुलिस की रेड कुई तो वहां हो हे संगठित रूप से लड़कों के यौन शोषण के सभी तथ्य सामने उम्मीद कर आये।

शोषण के रूप
पीटर्स के खिलाफ गवाही देने वाले बच्चों की गवाही से पता चला कि उन्हें कपड़े उतारकर न केवल पीटर्स बल्कि ‘गुरुलू’ में आने अन्य विदेशीयों के साथ भी अस्वाभाविक और अनैतिक संबंध था यौन क्रिया-कलाप के लिए मजबूर किया जाता था। उनके अण्डकोश में सुई (इंजेक्शन) के जरिए किसी बुढ़ी को जाला जाता जिनसे अण्डकोश आकर में बढ़ जाते और उन्हें बहुत दर्द होता। यौन क्रिया-कलाप के दौरान वो नम्न अवस्था में था। इंजेक्शन से उठे दर्द से लड़कों का झुकना था। वह सोचा कि गोले के हाथ पैर करने वाला पीटर्स इस बूढ़ी पर कोड़े लगाता और कैमरामैन उनके दर्द से कांपते और बीमार हो जाते हुए चेहरों की लकीर लेने के लिए कैमरा ले लिए हुए इंटजर करते रहता। इस तरह के बदले एक तोहफे के रूप में इन बच्चों को भेंटा कुछ पैसे, टोमर्फी, डाक टिकट इत्यादि।
हेलमट ब्रिंकमन का मुकदमा

जर्नलिका का 53 वर्षों का हेलमट ब्रिंकमन मुकदमा की अपील के दौरान ही भारत से भागने में सफल हो गया। यह मुकदमा अपराध के खिलाफ सुनवाई के अलावा इस प्रकार की हिंसा के प्रति समाज के धर्मांतरण तथा चाल अपराध के प्रति पुलिस और न्यायाधीश की उदासीनता पर भी एक हिंसा है।

6 फरवरी 1999 के निचली अदालत ने ब्रिंकमन को न्युजिलंड के मुख्य स्थान पर रोकने का फैसला किया। लेकिन नतीजे के खिलाफ अपील करने पर उसे रिहा कर दिया गया। न्यायाधीश के अनुसार बच्चे भी इस अपराध में सहभागी थे। सबूत होने के बावजूद किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लिए िदिना ने न्यायाधीश की निजी राय का बोलबाला रखा। इससे पहले कि दूसरी अपील दर्ज की जाती, ब्रिंकमन देश छोड़ चुका था और फिर कभी जाता नहीं आया।

दूसरी अपील दर्ज करने में विलंब के लिए सरकार जिम्मेदार रही और एक मुजिम को पकड़ने का कर्तव्य भी निभा नहीं पाई।

न्यायाधीश के अनुसार “किसी दूसरे देश में ब्रिंकमन की कुद्रूण टॉपिस भेजना सजदों से सम्मान नहीं और यदि उसकी रिहाई का आदेश वापस ते लिया जाता है तो भी उसे अपील की सुनवाई के लिए या सज्जा करने के लिए भारत वापस ला पाना नामुमकिन है।” यह कह कर दूसरी अपील की खारिज कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने भी इसी विना पर वाचिका को दुकान और सदा के लिए बच्चे को कभी न भरने वाला धार दे छोड़ा।

क्या हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा, गरीब या अमीर चाइल्ड पोर्नो-ग्राफी, यानि अश्लील लेखन और चित्रण का शिकार हो सकता है? इससे पहले कि हमारे बच्चे इंटरनेट के जरिये किसी पीडीएफ या ठेक व्यापारी के प्रलोभन के चुंबक में फंसे हमें इंटरनेट पर हो रहे अश्लील लेखन और चित्रण में बच्चों के इस्तेमाल को रोकना होगा।
चाइल्ड ट्रैफिकिंग या बाल व्यापार क्या है?

सोलहवीं सदी में जब कुछ लोगों को 'ट्रैफिकर' कहा जाता था तो उसका तात्पर्य किसी गुलत काम या फिर देश में या सीमा पर हो रहे आवागमन से नहीं था। 'ट्रैफिकर' को 'व्यापारी' समझा जाता था। सोलहवीं सदी के समय होते ही 'ट्रैफिकिंग' शब्द गैरकानूनी वस्तुओं की बिक्री, ज्यादातर वस्तु अवैध पदार्थ या हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल होने लगा। लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक इस शब्द का प्रयोग इसानों के गैरकानूनी व्यापार या उनकी खुदिया-फिरोज़त के लिए या फिर अंतरराष्ट्रीय और सीमा पर हो रहे इंसानों के गैरकानूनी आवागमन के लिए किया जाने लगा।

आज 'चाइल्ड ट्रैफिकिंग' की परिभाषा कुछ इस प्रकार है:-

18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कानूनी या गैरकानूनी तरीके से देश के अंदर या तीमा पार, धमकाकर या जोर जबरदस्ती या अन्य दबाव से/अग्रोत्र करके/छल कपट या धोखा या फरेब से/शूट बोलकर या बहला फूसलाकर/अपने बल और धमता का प्रयोग करके या उस व्यक्ति की कमजोरी और संवेदनशीलता का फायदा उठाकर/नकद राशि के आवाज प्रदान के जूतिये या अन्य किसी लाभ के प्रतीम द्वारा उसकी सहमति लेकर उसे प्राप्त करना, भर्ती करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अंतरित करना या एक तरह 'रोककर' रखना, उसका शोषण करने के इरादे से या फिर यह जाने हुए कि यह सब उसके शोषण का कारण बन सकता है या इस तरह उसके शोषण की पूरी संभावना है।

(यह परिभाषा संयुक्त राष्ट्र के नशीले पदार्थ नियन्त्रण एवं अपराध नियन्त्रण कार्यालय (यू.एन.ओ.डी.सी.ली.पी.) द्वारा दी गई परिभाषा पर आधारित है)

चाइल्ड ट्रैफिकिंग या बाल व्यापार के मुख्य अंश इस प्रकार है:-

- चाइल्ड यानी बच्चे यानी 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का शामिल होना (जैसा कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते में दिया गया है और जिसकी अभियुक्त भारत ने 1992 में की)
- बच्चों का एक जगह से दूसरी जगह जाना
- बच्चों का विक्रय या खुदीया जाना, उन्हें भर्ती करना या उनका परिवर्तन या अंतरण, उन्हें किसी भी तरह से प्राप्त करना या एक जगह रखना
- जोर जबरदस्ती, दबाव, धमकी, धल, कपट या योग्य का उपयोग
- नकद या अन्य किसी प्रतिकल के लिए
- किसी अन्य व्यक्ति का मुनाफा या लाभ
- इस प्रक्रिया के दौरान या इसके नतीजे के रूप में बच्चों का शोषण
चाइल्ड ट्रैफिकिंग के कुछ जाने माने रूप एवं उद्देश्य

- मज़दूरी
  - बंधुआ मज़दूर
  - घरेलू नौकर
  - खेतीहर मज़दूर
  - निर्माण कार्य में जुड़े बाल-मज़दूर
  - कालीन उद्धो, कपड़ा उद्धो, मत्स्य/शंखनीन का निर्माण कार्य और इस तरह के औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यों में जुड़े बाल-मज़दूर

- गैरकानूनी कार्य
  - भीख मांगना
  - अंगों का व्यापार
  - नशीले पदार्थों की फरीद और तस्करी

- यौन शोषण
  - वैश्यावृत्ति
  - सामाजिक और धार्मिक रूप से प्रचलित वैश्यावृत्ति
  - परिवर्तन संबंधी यौन शोषण
  - अश्लील लेखन और चित्रण

- खेल-कूद और मनोरंजन
  - ऊंट दौड़ में ऊंट दौड़ना
  - सर्कस, ऑर्केस्ट्रा या नृत्य मंडली, नौंदी, जात्रा इत्यादि

- विवाह के ज़रिये या विवाह के लिए हो रहा व्यापार

- व्यक्ति प्रहण अथवा गोद लेने के ज़रिये से या उसके लिए चल रहा बाल व्यापार
चाइल्ड ट्रैफिकिंग या बाल व्यापार क्यों होता है?

आम तौर पर गृहीबी ही मुख्य कारण बताया जाता है।
परंतु केवल गृहीबी ही अपने आप में कोई कारण नहीं हो सकता। यह तो किसी और गहरी समस्या का सिर्फ एक प्रत्यक्ष रूप है जिसके कुछ पेगीदे पहलु इस प्रकार हैः

- साथियों का असमान वितरण
- उचित भूमि सुश्रुशा का आवाह
- एक तरफ अनिश्चित आहार तथा उससे जुड़ी असुरक्षा और दूसरी तरफ गोलमों में सड़क अनाजों का भण्डार
- भूमिकलीकरण और उसके कारण बढ़ती बेरोजगारी तथा अमीर और गृहीब के बीच बढ़ती हुई असमानता
- गृहीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन का आभार
- बांध निर्माण, खदान, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण, मेट्रो निर्माण, इत्यादि विकास परियोजनायें तथा निर्माण से प्रभावित लोगों के पुर्ववास और उपविवेश के लिए प्रयास और उचित नीतियों का आभार
- प्राकृतिक तथा मानव द्वारा रचे गये विनाश से जूझने के लिए सही समय पर सुनिश्चित तथा उपयोगी कार्यक्रमों का आभार
- सभी बच्चों के लिए निश्चल तथा अनिवार्य लोकवांशीय प्रारंभिक शिक्षा का आभार
- (और हम यह कैसे भूल जाय़े! ) गृहीबों के साथ वोट बैंक की राजनीति का खेल सभी राजनीतिक दलों की जीविका के लिए आवश्यक हो गया है।
जो बच्चे सड़कों पर या रेलवे स्टेशनों पर या अन्य ऐसी अन्य स्थिति में रहते हैं, उनके लिए बाल व्यापार का शिकार बनने का खतरा ज्यादा होता है।
इन बच्चों को भीख मांगना, नशीले पदार्थों की फेरी, वैश्ववृत्ति (जिसमें लड़कों की वैश्ववृत्ति भी शामिल है) इत्यादि सैकड़ों जरूरत के लिए लगाया जाता है। अतः समस्या तो समृद्धिमंडलिक परिवार, आश्रय और देख-रेख तथा पतल-पोषण के वैकल्पिक तरीकों का आभास है। वैकल्पिक देख-रेख में पल रहे बच्चे की स्थिति का निरीक्षण और जांच-पढ़ाताल न होने के कारण यह समस्या और बढ़ जाती है।

आज की वैश्वीकृत्व व्यवस्था, उदार वातावरण तथा उपभोक्तावादी समाज में बच्चे भी एक वस्तु बन कर रह गये हैं।
मीडिया द्वारा दर्शाया जा रही बच्चों की प्रतिमा भी काफी युवा संबंधी हो चुकी है। जैसे कि बाबी डाल, एक खिलौना जो किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म की हीरोइन या वूं कहिए एक कामोत्तेजक लड़की का प्रतिमिक है। बाबी डाल के भारत पहुँचे ही मानो बच्चों के फेशन में आग लग गई। फेशन उद्योग ने बच्चों के लिए उसी तरह के कपड़े, जुटे और अन्य सामग्री बेचना शुरु कर दिया। आज हमारे देश के हर कोने में नस्ली वालिकाओं का यही रूप देखने को मिलता है।
इस तरह बच्चे एक ऐसी नई और कामोत्तेजक वस्तु बन जाते हैं जिन्हें बाजार में आसानी से खरीदा जा सकता है और फिर इस्तेमाल कर फेंका जा सकता है, बिना किसी विरोध के क्योंकि बच्चों को कोई आत्मा नहीं होती और उन्हें क्षुद्र में करना सबसे आसान है। एक वयस्क महिला, विशेष रूप से आगे बढ़ने हुई आत्मनिर्भर महिला पुरुष की दुनिया में खुलते ही इंटे मानी जाती है। इसलिए सबसे स्वाभाविक निशाना बनते हैं बच्चे, प्रेम के बाहर भी और पर के अंदर भी, सूर्योदय के वातावरण में भी और कुशल महर्षि में भी।
सदियों पुरानी परंपराएं और धार्मिक प्रथाएं भी बच्चों को नहीं छोड़ती।
शायद यह जानकर हमें बुरा लगे परन्तु यह सच है कि सदियों से चली आ रही देवी देवताओं को भेंट चढ़ाने की परंपरा के नाम पर आज भी कई लड़कियाँ शारीरिक रूप से मंदिर के पुजारियों की दासी बनकर उनकी कामवासना को पूरा करने के लिए बलि चढ़ाई जाती है। देवदार्शी, जौलिंग और मातम्य जैसी प्रथाएं भारत के कई प्रांतों में प्रचलित हैं। नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार की गंडी गलियों में टकराने का यह एक रास्ता बन चुका है।

पर्यटन उद्योग का विकास बिना किसी नियंत्रण के जिससे बच्चों को पर्यटकों की हवास और लालच का शिकार बनने से बचाया जा सके; सूचना प्रौद्योगिकी तथा इंटरनेट पर अशील लेखन और चिंत्रण की बच्चों तक अनियमित पहुंच; अंधविश्वास और ऐसी धारणायें जो कुंवारी लड़कियों के साथ यीन संबंध को एस.टी.डी. और अन्य गुना रोगों का इलाज मानती है; सब चाइल्ड ट्रैफिकिंग के कुछ अन्य कारण हैं।

बाल व्यापार का संबंध माफिया और गिरोह से है। इसकी सबसे अहम कड़ी है बच्चों के लिए ‘मांग’ और उसकी ‘आपूर्ति’।

बाल व्यापार के एक पल्ड़े पर है उन लोगों की बड़ती हुई मांग जो दंग पर लगे मासूम बचपन से कमाया गये मुनाफे पर जीती हैं। इसलिए पल्ड़े पर है एक निर्बल और मजबूर बचपन जिसके कारण बच्चों की आपूर्ति आसानी से हो जाती है। कई बार अपहरण भी बाल व्यापार का एक तरीक़ा बन जाता है। माफिया और संगठित गिरोह का यह काम अधिकारियों की जानकारी में रहता है और इन्हें राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त होता है। बाल निर्यात गिरोह या बाल तस्कर गिरोह कुछ ऐसे ही गिरोह हैं जो दस्तक ग्रहण के लिए बच्चों को बेचते और खरीदते हैं। इनके अलावा अंग व्यापार गिरोह; भिखारी माफिया; ड्रग माफिया; (यानि नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ा माफिया) अन्य कुछ गिरोह हैं।
सन् 2000 में...
6562 अपहरण के वो मामले पुलिस में दर्ज हुए जो साफ-साफ बाल व्यापार के लिए किए गये थे।
इनमें से 37 मामले दर्दनाक ग्रहण के लिए किए गये बाल अपहरण के थे, 15 श्रीक अधिग्रहण के लिए, 4 ऊंट बॉडी के लिए, 1092 अत्यधिक संभोग के लिए, 4871 विवाह के लिए, 190 वैश्विकता के लिए, 16 बच्चों को बेचने के लिए, 1 बच्चों के अंग बेचने के लिए, 63 गुलामी या वास्तव के लिए, और 273 अत्यधिक कार्यों के लिए।
इनमें 1.19 प्रतिशत मामले 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के थे, 22.96 प्रतिशत 11-15 वर्ष के बच्चों के और 75.85 प्रतिशत के बच्चों के थे।

चाइल्ड ट्रैफिकिंग संबंधित अन्य अपराध
147 मामले नाबालिग लड़कियों को प्राप्त करने के थे
15 नाबालिग लड़कियों को वैश्विकता के लिए बेचने के थे
53 नाबालिग लड़कियों को वैश्विकता के लिए खरीदने के थे
660 बच्चों के अनावरण और त्याग के थे

यदि दर्ज किए गए मामले ये हाल बताते हैं तो जो दर्ज ही नहीं होते उन्हें जोड़ने पर तो तस्वीर और संगीत हो जायेगी।

स्रोत: चाइल्ड इन इंडिया, 2000
बच्चों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त कानून व्यवस्था, उसकी निष्क्रियता, दुरुपयोग और कमजोर पालन, बिना किसी दण्ड या दण्ड के भय के, बाल व्यापार को बढ़ाने में मदद करता है।
इस सब के अलावा बाल व्यापार का सबसे सीधा और गहरा संबंध हमारी मानसिकता से है।

हम अपने घरों में बच्चों को नैनक के रूप में रखते हैं ताकि वो हमारी और हमारे बच्चों की, जो उन्हें शायद उससे छोटे हो या उससे बड़े, जुड़ा होने का पूरा ख्याल रखे। हम बिना किसी विरोध के ऐसे कानून को लागू होने देते हैं जो किसी व्यक्ति को दो से अधिक बच्चे होने पर राजनीतिक चुनाव में खड़े होने से रोकता है, क्योंकि बच्चों का परिवार या उनके अपने दो से इंशार करना बहुत आसान है। विभ-विभी में हमें स्वीकार नहीं परंतू चोरी-छुए गभराल करना या नवजात शिशु का परिवार या उसे वेचना हमें स्वीकार है। एक पुराने अपनी पत्नी को बच्चा न ठहरने पर शायद कभी तलाक न दे अगर हम अपनी पत्नी बिना किसी आपत्ति के उसे भी तो करते हैं किसी और लड़की के साथ सोने का ताकि वो उसे गर्भवती करके उसके जुर्म से ऐलान पा सके और इस्तेमाल के बाद उसे छोड़ दे। आज हम अपने बच्चों को ज्ञान बढ़ाने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट को जरूरत देते हैं लेकिन इसके जुर्मों अशील लेखन और विचार में हमें उनके इस्तेमाल होने के खुराक को हम नहीं देख पाते या यूं कहिए कि देखकर भी अन्देखा कर देते हैं, क्योंकि तब हमें अपने बच्चों के साथ पौन संबंधी बातचीत करनी पड़ती, जो आज भी हमारे परिवारों में बाज़ी करता है!

याद रखें!
- ट्रेफिंग के लिए बच्चे सबसे आसान लक्ष्य हैं
- चाइल्ड ट्रेफिंग या बाल व्यापार कभी भी उनकी भलाई के लिए नहीं होता
- बच्चों को छोड़कर ट्रेफिंग में शामिल और सभी लोगों को कम सहकर पर अधिक मुनाफ़ा प्राप्त होता है
- छोटी उम्र में शोषित बच्चे असहमत, अबीरत और अकुशल व्यक्ति बनते हैं जिससे गुरुबी का बढ़ावा मिलता है
कुछ गलतफहमियां, कुछ भ्रम - इन्हें तोड़ना जरूरी है!

एक: बच्चे की खुद की मर्जी शामिल थी
इस तरह के मामलों में बच्चे की मर्जी या सहमति का कोई सबूत ही पैदा नहीं होता। हमेशा किसी दबाव, तबबी की या दुरुस्तवाद की कहानी से किया गया बच्चे के मर्जी का नाम दे दिया जाता है। वैसे भी बच्चे की मर्जी कोई मायने नहीं रखती क्योंकि बहना-बहना करने के उसी पल्ले से कोई जासूसी नहीं होती। इसलिए प्राचीन या उस उम्र में जिसमें मर्जी या सहमति शामिल हो सकती है, बहुत जरूरी है। असल में यह सब उस श्रेष्ठ और प्रीतित कर्म को वेशी ठहराने के बहाने है ताकि अपराधी देव से मुक्त हो सके और तनुं के शिकार से निकल जाए। शक्तिशाली और पुष्पपत्रिक संरचना के ख़ल और कपड़े की कोई चीज नहीं।

दो: परिवार सबसे सुरक्षित जगह है
बच्चे के लिए परिवार का मतलब है पालन-पोषण, देश-भाग और सुरक्षा। हालांकि बच्चे की सुरक्षा उसके परिवार का प्रथम कर्तव्य है ऐसा हमेशा नहीं होता। अदा यह तात्पर्य है कि बच्चों का शोषण और बाल व्यापार अस्वस्थ परिवार के लोगों की मिली भाग से होता है, विशेष रूप से पुलिस सुरक्षा के कारण जो ज्यादातर बच्चों के शोषण के लिए जिम्मेदार पाये गए हैं। बच्चों को मां बाप की मांग तथा मानता है जिन्हें दर्शन या अन्य किसी परेशानी के कारण बेचा दिया जाता है। परिस्थिति बच्चों के मानव अधिकार परिपुर्ण, परम और अविलम्ब्य है।

तीन: समस्या किसी और की है मेरी नहीं
बाल व्यापार का शिकार हमारे बच्चे नहीं हो सकते, यह सोचना गलत होगा। वास्तव में तेजी से आगे बढ़ती हुई इस दुनिया में इंटरनेट ने बच्चों के प्रति काम वासना रखने वाले व्यक्ति यानि ‘पिड़ीफाइल’ को हमारे ही घर में, हमारे बच्चे के पास पहुंचा दिया है। अश्लील लेखन और वित्त्रेण यानि ‘पीडीफाइल’ पर बच्चे की वैज्ञानिक और विशेष विषयों की प्रशंसा के लिए जुड़े संगठित गिरोहों से हमारे बच्चे का गलत इस्तेमाल किया जाता है और जिनके जरिये बच्चों की ‘पीडीफाइल’ का शिकार बनाया जाता है। चाहूं तक लेखकों द्वारा जुड़े संगठित गिरोहों से हमारे बच्चे का गलत इस्तेमाल किया जाता है और जिनके जरिये बच्चों की ‘पीडीफाइल’ का शिकार बनाया जाता है। चाहूं तक लेखकों द्वारा जुड़े संगठित गिरोहों से हमारे बच्चे का गलत इस्तेमाल किया जाता है और जिनके जरिये बच्चों की ‘पीडीफाइल’ का शिकार बनाया जाता है।
आप क्या कर सकते हैं?

बाल व्यापार की रोकने में आपकी अहम भूमिका है। आपके सामने है एक परेशान बच्चा या बच्ची जो बाल व्यापार का शिकार बन चुके हैं या फिर बन सकते हैं। ऐसी घटना में आप क्या करेंगे? मूंछ पेट लेंगे? एक शुद्धरुप की तरह ये आशा करेंगे कि किसी तरह समस्या टल जाए और आपके विवेक पर कोई आचरण न आये? परले घूम -फिर कर यह समस्या कहीं न कहीं हमारे सामने आ खड़ी होगी, हमारे बच्चों को धूर्त हुए, जिन्हें गरीबी और विकास, होने से आज बराबर का खतरा है।

शायद आप कोई दूसरा रास्ता चुनना चाहें?

- प्रशासन, निकटतम पुलिस धाना, चाइल्ड लाइन या फिर बच्चों के विषय पर काम करती किसी सर्वेक्षण-सेवी संस्था को ऐसी समस्याओं की ज्ञान सुचना दें। चाइल्ड लाइन के लिए देश के किसी भी कोने से 1098 पर फोन करें।
- प्रशासनी में घिरे बच्चों की सड़क पर हुई दुर्घटना की तरह देखकर भी अनदेखा न करें। हो सके तो उनकी मदद करें। हो सकता है कि किसी बच्चे को चिकित्सा/मनोवैज्ञानिक देख-रेख की तत्कालीन मदद हो। अपराध की रिपोर्ट होना आवश्यक है, और पीड़ित बच्चे को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना या संरक्षण देख-रेख में रखना भी तब तक आवश्यक है जब तक उसे न्यायालय में मनिस्ट्रेट के सामने पेस नहीं किया जाता।
- आप अपने पत्रि/स्कूल/विश्वविद्यालय/इस्तीफे में बाल व्यापार के खिलाफ लोगों की इकट्ठा कर एक अभियान चला सकते हैं या छोटा-मोटा चंदा इकट्ठा कर इस क्षेत्र में कार्यरत किसी स्वयं सेवी संस्था को दे सकते हैं। बच्चों द्वारा बनाए गई वस्तुओं का लागू करें। वहें तो प्रेस/मीडिया से संपर्क करें ऐसे अपराध करने वालों का पर्दाफाश भी कर सकते हैं।
- बच्चों की सुरक्षा के लिए नीतियों और कानून में बदलाव की प्रयास करें।
- यदि आप कलाकार हैं तो अपनी कला के माध्यम से ऐसी समस्या पर लोगों को सोचने के लिए मदद करें। इस्तीफे को क्रयम रखते हुए हम सम सामाजिक बदलाव के प्रतिबिम्ब बन सकते हैं। एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं जो अपने बच्चों और उनके मैत्रिक अधिकारों की न खोज कानून पर भला-भला करके में भी सुरक्षा कर सके।
रेफरेंसेज़:
सी.ए.सी.टी., चिल्ड्रन ब्रांच एण्ड सोल्ड : वी कौन स्टोप इट, 2002
कैल्कुटा-लैंग्रोस ऑफिसलिया, रिपोर्ट ऑफ ड स्पेशल रिपोर्टर ऑन ड सेल ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड्रन प्रोस्टीट्यूशन एण्ड चाइल्ड्रन पोर्नोग्राफी, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, फिल्ड फिल्म सेंटर, 1999
सेटर फॉर कन्सेंट प्रो चाइल्ड लेवर, चाइल्ड्रन प्रोस्टीट्यूशन इन इंडिया, ड टोप्स ऑफ इंडिया, 10 नवंबर 1998
dेसाई निशा, सी द ईविल - ट्रिलिंग रिलेटेड पीडीफीलिया इन गोवा, 2001
इलेक्ट्रानिक टेलीग्राफ, इंडिया 920, 30 नवंबर 1997
हक़: सेटर फॉर चाइल्ड फाइट, चाइल्ड्रन ट्रैफिकिंग इन इंडिया, 2001
हक़: सेटर फॉर चाइल्ड राइट्स, चिल्ड्रन इन स्लॉवलाइजिंग इंडिया: बेलोनिंग अवर कॉनशेन्स, 2002
हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली ऐडिशन, 21 मार्च 1997
जोनाथन, वॉल्यूम. 1 नं 1, नवंबर 1996
द बीक, 4 अगस्त 1996
नैशनल चाइल्ड रिकॉर्ड्स ब्युरो, चाइल्ड्रन इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्मेंट ऑफ इंडिया, 2000
© सी.ए.सी.टी 2005

इस प्रकाशन के किसी भी अंश को उपयुक्त अभिव्यक्त कर लेने वाले पुन: प्रकाशित किया जा सकता है। प्रकाशन या उसके किसी भी भाग के अनुवाद के लिए कैम्पेन अगेस्ट चाइल्ड ट्रेफिकिंग, नैशनल सेक्रेटरियट की अनुमति आवश्यक है।

लेखन:  भारती अली
इंलाइफ गांगुली टुकराल

हिंदी अनुवाद:  भारती अली

चित्रण:  सुरेन्द्र सिंह

मुख्य:  ऐसपावर डिजाइन

सौजन्य:  टेरे डेस होम्स (जर्मनी) इंडिया प्रोग्राम / बी. एम. जेड

प्रस्तुति:  नैशनल सेक्रेटरियट
कैम्पेन अगेस्ट चाइल्ड ट्रेफिकिंग (सी.ए.सी.टी)
हक: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स
208, शहीदुर्गा, नई दिल्ली 110049
टेलीफोन: +91-11-26490136
टेलीफॉक्स: +91-11-26492551
ईमेल: haqcrc@vsnl.net, cactindia@yahoo.co.in
सी.ए.सी.टी

भारत में चल रहा कैम्पेन अंगेस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग (सी.ए.सी.टी) जनीवा रियल अंतर्राष्ट्रीय टीईएच फेडरेशन और उनके अन्य यूरोपीय अध्यक्षों के समर्थन से चलाये जा रहे इंटरनेशनल कैम्पेन अंगेस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग (आई.सी.ए.सी.टी) का भाग है। आई.सी.ए.सी.टी विश्व के 47 क्षेत्रों में सक्रिय है - दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, दक्षिण और पश्चिम अफ्रीका, यूरोप तथा लैटिन अमेरिका।

नई दिल्ली में 12 दिसंबर 2001 को औपचारिक रूप से सी.ए.सी.टी को शुरुआत हुई। आज यह अभियान 17 राज्यों में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल।

हमारा यह मानना है कि जीवन, विकास, गृह और भागीदारी सभी बच्चों के मूल अधिकार हैं और बाल-व्यापार इन्हीं अधिकारों के हनन का एक विपरीत रूप है।

हमारा दृष्टिकोण है एक ऐसी दुनिया जहां बच्चों को खफा देते जाने वाली सत्ता न समझा जाए, जहां इंसानीत्व की बुनियाद बच्चों की स्वाधीनता, प्रतिष्ठा, सम्मान और उनकी खुशी पर रिकार्ड हो, न कि उनके दुरुपयोग और शोषण पर।

हमारा लक्ष्य है बाल व्यापार को रोकना!